29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2386 विरुद्ध आदेश दिनांक 09.09.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 455/अपील/2015-16

सुन्दर सिंह पुत्र गजादर सिंह
निवासी - सिंचाई कॉलोनी,
लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. आनंदीलाल पटेल पुत्र रामनाथ पटेल
   निवासी- बंसतपुर तहसील लवकुशनगर
   जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. प्रेमरानी पत्नी श्री रामशरण पटेल
   निवासी देवपुरे तह0 लवकुश नगर
   जिला छतरपुर .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप के श्रीवास्तव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन

आदेश

(आज दिनांक 19/04/18 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 455/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा-250 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 01.09.2016 द्वारा अनावेदक का आवेदन निरस्त किया, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.09.2016 द्वारा रिकॉर्ड आने तक स्थगन आदेश जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार ने दिनांक 09.09.2016 को विस्तृत आदेश पारित कर विधि की मंशा के अनुरूप उचित आदेश पारित किया है और यह पाया है कि आवेदक का प्रार्थना-पत्र विधि संगत नहीं है और प्रचलनशील नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदकगण को सुना जाना आवश्यक था और वगैर सुने एकपक्षीय पारित स्थगन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है। तहसीलदार द्वारा अनावेदक का आवेदन खारिज करने पर अनावेदकों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई, अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9-9-16 को आदेश पारित करते हुए रिकार्ड आने तक स्थगन जारी किया गया। संहिता की धारा-52 के प्रावधानों के अनुसार तीन माह या आगामी पेशी तक ही स्थगन दिया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने ऐसा न करते हुए रिकार्ड आने तक स्थगन जारी किया है जो त्रुटिपूर्ण है। परंतु यदि प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार किया जाये तो यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही न करते हुए इस न्यायालय में निगरानी करना यह दर्शाता है कि वे प्रकरण को लंबायमान रखना चाहते हैं। अत:

प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि यदि उनके समक्ष स्थगन का बिंदु पक्षकारों द्वारा उठाया जाता है तो दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत संहिता की धारा 52 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए स्थगन के बिंदु पर निर्णय लें और 3 माह के अंदर प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर विधिवत करें।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर